

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थी :-


कमलादेवी व अन्य

दुदाराम व अन्य

किस्म मुकदमा : राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 08/2025

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2025/ 72)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07-05-2025	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 466/24 कमलादेवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य में दिनांक 17.12.2024 को पारित एकपक्षीय आज्ञा, स्थगन आदेश की प्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किये जाने से अवमानना की कार्यवाही सस्थापित किये जाने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटीस तलब हो। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 12.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 560 दि. 07/05/25 की नोटिस जारी</p>
12/05/2025	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण की तलबी रिपोर्ट अपाक, इनसाट हो। पत्रावली आशंदा दिनांक 14/05/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	
14/05/2025	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप.। स्वाबिक आदेश की पालना में पत्रावली आशंदा दिनांक 22/05/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	
22/05/25	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप. स्वाबिक आदेश की पालना में पत्रावली आशंदा दिनांक 26/05/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	
26/05/25	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप.। उपाधिका पत्रावली अन्तर्गत तारीख के लाबिक हो अधिवक्ता प्रार्थीगण ने ज्ञाहिर किया कि (P.T.O)</p>	<p>NOT PRESS [Signature]</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
जो हुक्म
तामिल में

हस्तगत शक प्रानत प्रक (०) को प्रार्थनापत्र
 शागे नही चमाना चाहते हैं प्रक प्रगावली
 को 'Not Press' किया किन्तु प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र,
 के निवेदन पर प्रार्थनापत्र शीट नोट उक्त
 खारिज किया जाता है मिलास जैसा -
 शुक्र हो व दाखिल दफ्तर की जाए

— १३
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 बाली, जिला-पाली